Some portions **of** the National Audit Bureau's Report v ere withheld by the Swedish Government.

(b) The Government immediately proposed the setting up of a Joint Parliamentary Committer to enquire into the matters arising out of the Report of the Swedish National Audit Bureau.

काले धन का पता लगाने के लिए मारे गये छापे

2134. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1986 से 15 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान बम्बई, गुजरात और देश के अन्य भागों में किन-किन स्थानों तथा व्यक्तियों, संस्थाओं और कम्पनियों के अधिकारियों के घरों, कार्यालयों तथा कारखानों पर छापे मारे गए और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन छापों के दौरान कितनी धनराशि तथा सामान पकड़े गए और कितने अवैध लेन-देन का पता लगा ;

(ग) किन-किन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया और उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) देश में ऐसी अवैध गतिविधियों को पूर्णरूपेण समाप्त करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं; और

(ङ) इन छापों के प्रति जनता, व्यापारी-वर्ग और उद्योगपतियों की प्रतिक्रिया क्या रही है ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री बी० के० गढवी) : (क) और (ख) उपलब्ध अन्तिम सूचना के अनुसार 1-1-86 से 30-6-87 की अवधि के दौरान आयकर विभाग ने सारे भारत में 9879 तलाशियां लीं जिसके परिणामस्वरूप प्रथम दृष्टया 133.17 करोड़ रु० की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गई । इनमें शामिल व्यक्तियों /पार्टियों की भारी संख्या को देखते हुए, उन सभी स्थानों के ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है जहां पर तलाशियां ली गई थीं ।

(ग) कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है क्योंकि आयकर अधिनियम में तलाशियों की कार्रवाई के दौरान गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है । 1-1-86 से 30-6-87 के दौरान आयकर विभाग द्वारा चलाए गए मुकदमों की संख्या 8485 है ।

(घ) ऐसी गैर-कानूनी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से तलाशियां ली जा रही हैं और सर्वेक्षण कि जा रहे हैं ।

(ङ) आर्थिक अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का लोगों ने आमतौर से स्वागत किया है ।

20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन

2135. **श्री रामसिंहभाई पातलीयाभाई राठवा** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या-क्या हैं जिन्होंने 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मामले में अपने लक्ष्यों को पूरा कर लिया है और इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ख) किन-किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई व्यवस्था की गई है ताकि संबंधित राज्य इन लक्ष्यों को पूरा कर सकें ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) 1 जनवरी, 1986 से 15 जुलाई, 1987 तक की अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय तथा अन्य सहायता या सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) 1987 और 1988 के दौरान उन्हें सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में निर्धारित भावी लक्ष्य क्या-क्या हैं?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) वर्ष 1986-87 के दौरान जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अन्तर्गत लक्ष्य प्राप्ति 100 प्रतिशत अथवा इससे अधिक रही, उनके नामों का विवरण-पत्र संलग्न है **[देखिये** परिशिष्ट CXLIII, उपाबन्ध सं० 93]

(ख) प्रश्न के भाग (क) के सन्दर्भ में दिए गए विवरण पत्र में, जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रो के नाम नहीं है उन्होंने अपना लक्ष्य पूरा नहीं किया है। उन राज्यों ने लक्ष्यों को पूरा न करने के कई कारण बताए हैं। ये कारण निम्नलिखित हैं :--

-भूमि अधिग्रहण, जिसमें वन्य भूमि शामिल है, सम्बन्धी मुश्किलें।

-निधि का अभाव

-निर्माण सामग्री का अभाव

-दूसरी बार सहायता आदि देने के लिए पुराने लाभग्राहियों की जानकारी लेने में मुश्किलें।

(ग) और (घ) मासिक प्रगति रिपोर्ट, जो निकृष्ट निष्पादन वाले सूत्रों/मदों को दर्शाती है, के जारी होने के बाद मुख्य सचिवों/मुख्य मंत्रियों को समय-समय पर पत्र भेजे जाते हैं जिन के द्वारा उनका ध्यान उन सूत्रों/मदों की ओर दिलाया जाता है जिनके अन्तर्गत उनके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निष्पादन निकृष्ट रहा हो और उन्हें उन लक्ष्यों को पूरा करने हेतु उचित उपाय करने का आग्रह किया जाता है।

(ङ) और (च) 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए विशेष रूप से और अलग से कोई परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है। इनको राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के संगत योजना शीर्षों से लिया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के लि राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है परन्तु सम्पूर्ण योजना के लिए खंड ऋण और अनुदान के रूप में दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्मों का दिखाया जाना

2136. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों में फिल्मों को दिखाए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस योजना को दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में भी लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजीत पांजा): (क) से (ग) सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों नीतियों और उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय देश भर में फैली 257 यूनिटों के अपने संजाल के साथ चलते फिरते वाहनों के माध्यम से फिल्मों का प्रदर्शन करता रहा है। इनमें से लगभग 80 प्रतिशत प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं।

दिल्ली में 2 केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रचार यूनिटें हैं जो संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली इसके ग्रामीण क्षेत्रों सहित में फिल्में दिखाती हैं।